

अज अदालत

फर्द अहकाम (नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

रायसिंहनगर

किरग गुकदमा 136 एल आर एक्ट

तारीख 25-11

बनाम सरकार

नम्बर 270 सन् 2021

जी.सी.एम.एस. आईडी 2021 / 796

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जौं इस हुकम की तामील में जारी किए
31/11/21	<p>तहसीलदार भू.अ./नायब तहसीलदार <u>राजसिंह गुप्ता</u> रायसिंहनगर के पत्रांक/भू.अ./प्र.गां.सं.अ./2021/ दिनांक 31/11/21 के द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत <u>समरग</u> में प्रार्थी के नाम चक <u>25-13</u> की जमाबंदी सम्वत् <u>2025 मेस्वराजी</u> के खाता सं. <u>69</u> में <u>राजसिंह</u> <u>रा-देह</u> <u>लातेदा</u> के स्थान पर <u>तार सिंह रा-पालसिंह को</u> <u>रा-देह</u> <u>लातेदा</u> की दुरुस्ती किये जाने की अनुशंषा की हैं। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। मजमा-ए-आम कैम्प कोर्ट में तहसीलदार/नायब तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार दुरुस्ती किए जाने पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गयी हैं। अतः तहसीलदार/नायब तहसीलदार <u>राजसिंह गुप्ता</u> रायसिंहनगर की अनुशंषा के आधार पर वाके चक <u>25-13</u> तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी सम्वत् <u>2025 मेस्वराजी</u> के खाता सं. <u>69</u> में <u>तार सिंह रा-पालसिंह</u> <u>रा-देह</u> <u>लातेदा</u> के स्थान पर <u>तार सिंह रा-पालसिंह को</u> <u>रा-देह</u> <u>लातेदा</u> की दुरुस्ती करने के आदेश दिए जाते हैं। शेष अंकन बदस्तूर रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो। पत्रावली फौसले में शुमार होकर दाखिल दफतर हो। आदेश मजमा-ए-आम में सुनाया गया।</p>	

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर
उम्य-संगठना

